फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय नि. क्यू–3 गोविन्द नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, धोईन्दा, राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भीम – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 54/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.01.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ.,05/2022/104–05 दिनांक 10.01.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से धारा 91 की पत्रावली संख्या 144/19, 145/19 तथा संवत् 2076,2077,2078 की पी.14 की नकलें पत्रांकः सू.अ./2022/295–97 दिनांक 07.11.2022 को दी जा चुकी है। वर्ष 2022 में अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही के लिये पी. 14 की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई है तथा पत्रावली संख्या 337/20, 338/20 व 139/21, 140/21 की नकले तैयार कर अपीलार्थी को भिजवाई जा रही है । प्रकरण संख्या 90/2011, 360/99, 408/2000, 271/85 की पत्रावलीयॉ रिकॉर्ड शाखा में नहीं मिलने से पत्रावलियॉ मिलने पर प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवादी जावेगी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना में से उपलब्ध सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भीम द्वारा तैयार की जाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गई है। प्रकरण संख्या 90/2011, 360/99, 408/2000, 271/85 की पत्रावलीयॉ रिकॉर्ड शाखा में नहीं मिलने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के लिए अपीलार्थी स्वयं कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भीम	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बकाया सूचना की पत्रावलियॉ उपलब्ध होते ही अपीलार्थी को 30 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, वांछित सूचना की पत्रावलियां नहीं मिलने पर सम्बधित कार्मिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।

अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)